संख्या–बीमा 56/दस–86–36/1981

प्रेषक,

श्री हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 10 जनवरी, 1986 ।

विषय:––सामूहिक बीमा योजना––लाभार्थी का नामांकन ।

महोदय,

वित्त (बीमा) अनुभाग

उपर्युक्त विषय से संबंधित शासनादेश संख्या सा–3–2105/दस–14–77–नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 तथा शासनादेश संख्या बीमा–2307/दस–85–36/81, दिनांक 4 जून, 1985 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके संतप्त परिवारों को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि के भुगतान के संबंध में होने वाली कठिनाइयों से बचाने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाय :––

(1) इस योजना से आच्छादित समस्त सरकारी प्रधिकारियों/कर्मचारियों से एतद्द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर लाभार्थी का नामांकन प्राप्त कर लिया जाय । इस योजना के प्रयोजन हेतु यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अवस्यक व्यक्ति को नामांकित करता है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में उसे अवयस्क व्यक्ति के लिये संरक्षक नियुक्त करना होगा जिसका उल्लेख नामांकन-पत्र के स्तम्भ–7 में किया जायेगा । किसी अवयस्क लाभार्थी के पक्ष में दावा अग्रसारित करते समय दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दावे के अग्रसारण-पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर अवयस्क व्यक्ति के प्राकृतिक संरक्षक के जीवित होने के तथ्य तथा नाम का उल्लेख करें ।

(2) अधिकारी/कर्मचारी से प्राप्त नामांकन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में चिपका दी जाये तथा दूसरी प्रति अधिकारी/कर्मचारी की वयक्तिक पत्रावली पर रख दी जाय, ताकि उसकी सेवारत मृत्यु होने पर देय सामूहिक बीमा की धनराशि अथवा सेवानिवृत्त होने पर इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर देय धनराशि का भुगतान मृतक के लाभार्थी को आसानी से किया जा सके। नामांकन प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इस बात की सही रूप से जांच करने के उपरांत ही नामांकन-पत्र को प्रतिहस्ताक्षरित करें कि अधिकारी/कर्मचारी द्वारा भरा गया नामांकन-पत्र शासनादेश की व्यवस्थाओं के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण है और उसमें कोई कमी या त्रुटि नहीं है ।

(3) उक्त नामांकन-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही इस शासनादेश के जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश संख्या सा–3–2105/दस–14–77–नामांकन, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार अपना नामांकन-पत्र पहले ही भर रखा है उन्हें इस प्रस्तर के अनुसार पुन: नामांकन-पत्र भरने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक कि वे स्वयं पूर्व में भरे गये नामांकन-पत्र में कोई संशोधन करना चाहे ।

(4) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 के अनुसार नामांकन-पत्र भर रखा है और उक्त शासनादेश में वर्णित परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन के प्रतिबन्ध को नहीं माना है उसके संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नामांकनों को परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन करने की बाध्यता को न मानने के बावजूद भी वैध माना जायेगा जिनकी मृत्यु 4–6–85 या उसके उपरांत हुई है । जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु 4–6–85 के पूर्व हो गयी है उनके नामांकन-पत्रों में भी यदि परिवार के क्रम के अनुसार नामांकन नहीं किया गया है तो उन्हें भी इस प्रतिबन्ध के साथ वैध माना जायेगा कि भुगतान करने के दिन तक किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चल रहा है, यदि किसी न्यायालय में बाद चल रहा है तो ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे न्यायालय में किसी प्रकार के बाद चलने की सूचना का उल्लेख बीमा निदेशालय को दावा भेजते समय दावे के अग्रसारण-पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों पर करें । यदि वे ऐसा उल्लेख नहीं करते हैं अथवा दावा भेजने के उपरांत भी इस संबंध में कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित करते हुए कि कोई वाद नहीं चल रहा है, दावे के निस्तारण की कार्यवाही परिवार के नामांकित व्यक्ति के पक्ष में कर दी जायेगी । बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने पर भी यदि किसी न्यायालय में किसी वाद के चलने की सूचना प्राप्त होती है तो भी लाभार्थी का भुगतान रोक लिया जायेगा । यदि लाभार्थी को भुगतान करने के उपरांत कोई वाद उत्पन्न होगा तो उसका उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा ।

(5) प्रतिनियुक्ति पर गये हुए अधिकारी/कर्मचारी के मामले में कार्यवाही उनके पैतृक विभाग द्वारा की जायेगी ।

(6) भविष्य में सेवायोजित होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके वेतन से प्राप्त होने वाली पहली कटौती के तुरन्त बाद नामांकन प्राप्त कर लिया जाय।

(7) राजपत्रित अधिकारियों जिनके सेवा अभिलेख महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के यहां रखे जाते हैं, के नामांकन की एक प्रति विभागाध्यक्ष अथवा शासन क सम्बन्धित अनुभाग में जहां सम्बन्धित अधिकारी की वैयक्तिक पत्रावली का रख-रखाव होता हो, रखी जावेगी।

2--इस योजना के उद्देश्य के लिये "परिवार" में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे:--

(1) पत्नी/पति (जैसी स्थिति हो) ;

(2) पुत्रगण ;

(3) अविवाहित तथा विधवा पुत्रियां (सौतेले तथा दत्तक पुत्र/पुत्रियों सहित) ;

(4) भाई (18 वर्ष की आयु से कम) तथा अविवाहित/विधवा बहनें (सौतेले भाई व बहिनों सहित);

(5) पिता तथा माता ;

(6) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों सहित); तथा

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व पुत्रियां।

परिवार की परिभाषा में जो क्रम ऊपर दिया गया है उसके अनुसार नामांकन करने की कोई बाध्यता नहीं है और यह ऐच्छिक है। प्रत्येक राजकीय अधिकारी/कर्मचारी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने परिवार के सदस्यों में से किसी को अथवा उनमें से कुछ या सबको अपनी सामूहिक बीमा योजन की धनराशि प्राप्त करने हेतु लाभार्थी के रूप में नामांकित करे। यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी चाहे तो वह पूर्व नामांकन को रद्द करते हुए नया नामांकन कर सकता है।

2--(क) यदि प्रस्तर-2 में वर्णित परिवार में कोई सदस्य न हो तो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।

3--सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत नामांकन उपलब्ध होने अथवा नामांकन के अभाव में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान प्राधिकृत करने के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्था अपनायी जायेगी :--

(क) निम्न अपवाद को छोड़कर नामांकन होने पर नामांकित व्यक्ति/व्यक्तियों को ही भुगतान किया जायेगा।

अपवाद:--

(1) यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों में दो पत्नियां हैं तो नामांकित विधवा के साथ-साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चों को भी भुगतान किया जायगा। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नामांकित विधवा को सामूहिक बीमा योजना की देय धनराशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायगा तथा शेष 50 प्रतिशत नामांकित न की गयी विधवा के अवस्यक बच्चों को भुगतान किया जायगा। ऐसे मामलों में दावा अग्रसारण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे बीमा निदेशालय को ऐसे दावे अग्रसारित करते समय अग्रसारण पत्र तथा समस्त दावा प्रपत्रों में इस बात का उल्लेख करें कि नामांकित विधवा के साथ-साथ नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे कर्मचारी की मृत्यु तिथि को जीवित थे। यदि इस बात का उल्लेख दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा अग्रसारण पत्र तथा दावा प्रपत्रों पर नहीं किया जाता है तो बीमा निदेशालय द्वारा यह प्रकल्पित कर लिया जायेगा कि नामांकित विधवा के अतिरिक्त नामांकित न की गयी विधवा के अवयस्क बच्चे नहीं है और इसके फलस्वरूप यदि शासन को कोई हानि होती है तो दावा अग्रसारण अधिकारी ही इसके लिये उत्तरदायी होंगे।

(2) यदि नामांकित लाभग्रही अवयस्क है तथा नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ-7 में प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में मृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संरक्षक नियुक्त है तो नियुक्त संरक्षक को इस प्रतिबन्ध के साथ भुगतान किया जायगा कि भुगतान की तिथि तक उक्त अवयस्क लाभग्रही का कोई संरक्षक सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं नियुक्त किया गया है। यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक की नियुक्ति कर दी जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को किया जायगा। दावा अग्रसारण अधिकारी द्वारा दावा भेजते समय यदि यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि अवयस्क का न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त है अथवा दावा भेजने के उपरांत भी यदि न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त किये जाने की कोई सूचना बीमा निदेशालय को प्राप्त नहीं होती है तो बीमा निदेशालय द्वारा नामांकन पत्र के स्तम्भ-7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर दिया जायगा। बीमा निदेशालय अथवा विभागाध्यक्ष से चेक प्राप्त हो जाने के पश्चाश यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हो जाती है तो भुगतान न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को ही किया जायगा। यदि नामांकन प्रपत्र के स्तम्भ-7 में नियुक्त संरक्षक को भुगतान कर देने के उपरांत न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक को बीमा योजना का भुगतान न करने का उत्तरदायित्व शासन का नहीं होगा।

(ख) प्रस्तर-2 में वर्णित परिवार के होने पर यदि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी परिवार के बाहर के सदस्य को नामांकित कर देता है तो उसका नामांकन अवैध माना जायेगा और उसके भुगतान के लिये प्रस्तर-3 (ग) में निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(ग) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की नामांकन करने के पूर्व ही मृत्यु हो गयी हो तो सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान उसके परिवार के सदस्यों को स्पष्टीकरण संख्या 1 से 5 के अधीन निम्नलिखित क्रम में होना चाहिये :--

(1) अधिकारी/कर्मचारी की पत्नी/पति, जैसी स्थिति हो।

(2) अवयस्क पुत्र तथा अविवाहित पुत्रियां।

(3) वयस्क पुत्र।

(4) माता व पिता।

(5) अवयस्क भाई तथा अविवाहित बहनें।

(6) विवाहित पुत्रियां।

(7) पहले मृतक हो चुके पुत्रों के पुत्र व अविवाहित पुत्रियां।

स्पष्टीकरण

(1) न्यायालय के आदेशों को छोड़कर इस शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत कोई दावा अनुमन्य नहीं होगा।

(2) सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु तिथि को दावा उत्पन्न होने की तिथि माना जायेगा। दावा उत्पन्न होने की तिथि को लाभार्थी का निर्धारण किया जायेगा तथा दावा उत्पन्न होने की तिथि को यह निर्धारित किया जायेगा कि भुगतान पाने वाला व्यक्ति नियमों के अनुसार भुगतान पाने का अधिकारी है अथवा नहीं।

(3) अवयस्क लाभार्थी की वयस्कता प्राप्त करने की आयु के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि इण्डियन मैचोरिटी ऐक्ट, 1875 की धारा-5 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पूर्व न्यायालय द्वारा उसका कोई संरक्षक (सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद हेतु संरक्षक को छोड़कर) नियुक्त अथवा घोषित किया जाता है तथा ऐसे अवयस्क जिसकी सम्पत्ति "कोर्ट आफ़ वार्ड्स" की अधीक्षणता में है, को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क माना जायेगा। अन्य व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वयस्क होंगे। उपरोक्त स्थितियों में उक्त वयस्कता की आयु से कम आयु वाले व्यक्ति को अवयस्क ही माना जायेगा।

(4) इस शासनादेश के अन्तर्गत निर्धारित लाभार्थी की भुगतान प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर भुगतान उसके विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

(5) यदि लाभग्रही अवस्यक है तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में "गार्जियन एण्ड वार्ड्स ऐक्ट" के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा नियुक्त अवयस्क के संरक्षक को भुगतान किया जायेगा।

(घ) यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु नामांकन प्रपत्र भरे बिना ही हो जाये और उसके परिवार में कोई सदस्य न हो तो ऐसी स्थिति में सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी के विधिक उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

4--पुराने मामलों में जहां कर्मचारी/अधिकारी की सेवारत अवस्था में अथवा सेवानिवृत्ति के बाद सामूहिक बीमा-योजना के अधीन देय धनराशि प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु हो गयी हो तथा नामांकन के अभाव में मामले का निबटारा न हो सका हो वहां भी पैरा-3 (ग) तथा पैरा-3 (घ) जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार मामले का निस्तारण किया जायेगा।

5--इस शासनादेश की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यदि किसी मृत सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के लाभार्थी का निर्धारण संभव नहीं हो पायेगा तो उसके संबंध में लाभार्थी का निर्धारण करने हेतु शासन को निर्णय लेने का अधिकार होगा, जो अंतिम होगा।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार

नामांकन प्रपत्र का प्रारूप।

भवदीय,
हरगोविन्द डबराल,
विशेष सचिव।

संख्या बीमा-56 (1)/दस-85-36-81

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3--विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
4--श्री राज्यपाल का सचिवालय।
5--निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,
के0सी0 श्रीवास्तव,
अनु सचिव।

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का नामांकन-पत्र

मैं,.....एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, जो शासनादेश संख्या बीमा 56/दस--85--36-1981, दिनांक 10 जनवरी, 1986 में दी गयी सूची के अनुसार मेरी सेवारत अवस्था में मृत्यु हो जाने पर सामूहिक बीमा योजना के अधीन देय धनराशि अथवा सेवा निवृत्ति के बाद उक्त योजना के अधीन मुझे प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उक्त धनराशि प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूं।

नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों का /के नाम व पूरा पता/पते	अधिकारी/ कर्मचारी से सम्बन्ध	नामित व्यक्तियों की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय अंश	आकस्मिकतायें जिनके होने पर नामांकन अवैध हो जायेगा	उन व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम, देय अंश तथा पता/पते, जिन्हें नामित व्यक्ति/व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में नामित व्यक्ति/ व्यक्तियों के अधिकार प्राप्त हो जायेंगे	यदि कालम (1) व कालम (6) में नामित व्यक्ति/व्यक्तियों में से कोई अवयस्क हो तो प्राकृतिक संरक्षक की अनुपस्थिति में नियुक्त संरक्षक का नाम, आयु, पता व अवयस्क से सम्बन्ध
1	2	3	4	5	6	7

नोट :--यदि कालम (1) व (6) में नामित किये गये व्यक्तियों में कोई अवयस्क हो तो उनकी आयु के साथ-साथ उनकी जन्म-तिथि भी अंकित की जाय।

दिनांक
स्थान
साक्षी (1) हस्ताक्षर नाम पता
(2)

सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के
हस्ताक्षर.....
पद.....
विभाग.....

प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर व सील
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
दिनांक.....